



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jda@jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F-37/Dir(P)/JDA/Building Permission/2014/ 255

दिनांक :: 22/3/16

श्री भीकसिंह पुत्र श्री बुलीदानसिंह
कुड़ी भगतासनी, पालीरोड़, जोधपुर।

विषय :- राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 325 योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के एकल व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1791.73 वर्गगज (1498.12 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवन (फ्लैट्स) (मिश्रित भू-उपयोग) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।

आवेदक :- श्री भीकसिंह पुत्र श्री बुलीदानसिंह कुड़ी भगतासनी, पाली रोड़, जोधपुर।

सन्दर्भ :- आपका आवेदन, दिनांक 25.02.2014 एवं भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2015

महोदय,

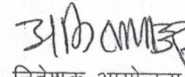
उपरोक्त विषयान्तर्गत उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 325 योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के एकल व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1791.73 वर्गगज (1498.12 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवन (फ्लैट्स) (मिश्रित भू-उपयोग) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रकरण भवन निर्माण अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2015 में विचारार्थ रखा जाकर अनुमोदित किया गया है। आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ जमा करवाये गये शुल्क, जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन) भवन विनियम-2013 एवं प्रस्तुत शपथ-पत्रों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर भवन मानचित्र जारी किये जाते हैं:-

1. यह भवन निर्माण अनुज्ञा जारी होने की तिथि से आगामी सात वर्षों तक प्रभावी हैं।
2. जिस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही हैं, उसी प्रयोजनार्थ भवन निर्माण करवाया जावेगा, अन्यथा निर्माण स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
3. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (Deviation) नहीं किया जायेगा।
4. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/राष्ट्रीय भवन संहिता/राष्ट्रीय विद्युत मानक संहिता/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन) भवन विनियम-2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं हैं। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गई अनुज्ञा रद्द/बदल दे, इस स्थिति में प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
5. भवन निर्माण अनुज्ञा के विरुद्ध किया गया निर्माण अवैध माना जाकर प्रार्थी को अलग से बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थी स्वयं के खर्च पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा। इसी तरह सूचना प्लिन्थ लेवल तक निर्माण किए जाने पर भी प्रस्तुत की जायेगी।
7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के साथ किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
9. आपातकालीन व अग्निशमन आदि के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होंगे।

For Lotus Real Estate Builders & Developers

2.10.16
Proprietor

10. प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे।
11. पार्किंग का नियमानुसार अपेक्षित प्रावधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
12. ड्रैनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
13. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 2 कचरापात्र का 00.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हे भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
14. गर्म पानी करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना आवश्यक होगा।
15. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम-2013 के प्रावधानानुसार वर्षाजल संग्रहण हेतु भवन परिसर में ही उचित प्रावधान किये जाने होंगे।
16. उक्त भूखण्ड में एस.टी.पी. का निर्माण Dual Plumbing System एवं Grey Water को उपभोग करने हेतु प्रावधानों का समावेश करना आवश्यक होगा।
17. उक्त भवन में भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी एवं पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर की घोषणा तथा संरचनात्मक सुरक्षा हेतु पंजीकृत इंजिनियर के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र के अनुरूप ही कार्य किये जाने होंगे।
18. भवन निर्माता/भवन स्वामी द्वारा सैफ्टी टैंक की सफाई के लिए मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जायेगा।
19. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
20. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।


 निदेशक आयोजना
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर

क्रमांक : F-37/Dir(P)/JDA/Building Permission/54/2013

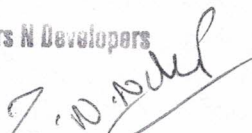
दिनांक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. उपायुक्त (सूचना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

निदेशक आयोजना
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर

For Lotus Real Estate Builders & Developers


 Proprietor